<u>न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,ठाकुरद्वारा</u>

राज्य प्रति बल्बन आदि।

वाद संख्या–1229/2018
मु.अ.सं.–300/2017
धारा–147,148,149,323,354,
452 भा0दं0सं0
थाना–भोजपुर।

<u>13.09.2019</u>

अभियुक्ता नन्हीं मु.अ.सं0–300/2017 अन्तर्गत धारा– 147,148,149,323,354,452 भा0दं0सं0 थाना–भोजपुर के मामले में अभियुक्ता उपरोक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उन्हें रंजिशन झूठा फंसाया गया है वह निर्दोष हैं। शपथपत्र के माध्यम से शपथकर्ता एवं अभियुक्ता के बीच में समझौता हो गया है तथा शपथकर्ता को जमानत पर रिहा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है तथा अब उक्त केस को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियोजन आख्यानुसार अनुसार अपराध गैर जमानतीय है। जमानत का प्रबल विरोध किया गया

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्ता स्वेच्छया आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। वादी मुकदमा ने शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि शपथकर्ता एवं अभियुक्ता की बीच समझौता हो गया है, उसे जमानत स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्ता की जमानत का पर्याप्त आधार है। अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्ता नन्हीं द्वारा बीस–बीस हजार रूपये के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किये जाए।

सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा।